



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 17.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि० 17.10.2025

चार बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडिए की ओर से नगवां वार्ड के दफलपुर में गगन सिंह की ओर से 4 बीघे में बिना लेआउट स्वीकृत अवैध प्लॉटिंग कराई जा रही थी। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत पहले नोटिस दिया गया था। निर्धारित अवधि में ध्वस्त न कराने पर प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। अवैध प्लॉटिंग का बोर्ड भी लगा दिया गया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार और अवर अभियंता आदर्श निराला ने कार्रवाई की। ब्यूरो

अमर उजाला—दि० 17.10.2025

वीडीए बनाएगा 1000 रिचार्जिंग पिट

वाराणसी। वीडिए की ओर से शहरी क्षेत्र के स्कूलों और कॉलेजों के कैम्पस, पार्कों में वर्षा जल पुनर्भरण के लिए रिचार्जिंग पिट बनाए जा रहे हैं। 5 फीट लम्बा, 5 फीट चौड़ा एवं 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर बोल्टर फिलिंग के माध्यम से रिचार्जिंग पिट यूनिट तैयार की जा रही है। 59 लाख की लागत से कुल 1000 रिचार्जिंग पिट बनाए जाएंगे। अब तक बीएचयू परिसर में 185 पिट, यूपी कॉलेज में 165 पिट बनाए जा चुके हैं। ब्यूरो





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

दैनिक जागरण—दि० 17.10.2025

वीडीए ने तोड़ी चार बीघा जमीन की अवैध प्लाटिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर गुरुवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि नगवां वार्ड के दफलपुर, नकाई में गगन सिंह समेत अन्य लोग चार बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे। बुलडोजर से अवैध प्लाटिंग को तोड़ने के साथ कालोनाइजर को दोबारा जमीन की प्लाटिंग नहीं करने की चेतावनी दी गई है। दोबारा जमीन की प्लाटिंग मिलने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

न्यायाधीश—दि० 17.10.2025

वाविप्रा जोन-04 में 04 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा 04 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-04 में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

की गयी। वार्ड-नगवों, दफलपुर, नकाई के अंतर्गत गगन सिंह व अन्य द्वारा लगभग 04 बीघा में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। उपरोक्त नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(1) व 28(11) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त के क्रम में अवैध प्लाटिंग करने वाले व्यक्ति द्वारा अवैध प्लाटिंग को निर्धारित अवधि के अन्दर स्वतः ध्वस्त न कराये जाने के कारण आज दिनांक 16/10/2025 को लगभग 04 बीघे में किये गये अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित करायी गयी तथा अवैध प्लाटिंग का बोर्ड भी लगा दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करे अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

हिन्दुस्तान-दि० 17.10.2025

अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराया

वाराणसी। वीडो ने गुरुवार को दफलपुर में चार बीघे से अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त किया। वीडो ने अवैध प्लॉटिंग करा रहे गगन सिंह को पहले नोटिस भेजा था, लेकिन निर्माण जारी रहा। इसपर गुरुवार को प्लॉटिंग ध्वस्त करा दी। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, जेई आदर्श निराला समेत अन्य मौजूद रहे।

न्यायाधीश-दि० 17.10.2025

वर्षा जल पुनर्भरण के लिए रिचार्जिंग पिट बनाये जाने का कार्य जोरों पर



वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी क्षेत्र के यू०पी० बोर्ड, सी०बी०एस०ई० बोर्ड के इंटर कॉलेजों एवं डिग्री कॉलेजों के कैम्पस तथा पार्कों में वर्षा जल पुनर्भरण हेतु रिचार्जिंग पिट बनाये जाने का कार्य गतिमान है। कैम्पस एवं पार्कों में वर्षा

स्थानों पर कार्य संचालित है- 'बी०एच०यू० परिसर में 185 पिट' यू०पी० कॉलेज में 165 पिट' सेंट्रल जेल आवासीय परिसर एवं सेंट्रल जेल में 582 पिट इस प्रकार अब तक 1000 रिचार्जिंग पिट के सापेक्ष कुल 932 स्थलों पर कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरण भी किया जा चुका है शेष 68 स्थलों का चिन्हांकन कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण कर हस्तगन की कार्यवाही कर दी जायेगी। यह कार्य वर्षा जल संरक्षण एवं भू-जल पुनर्भरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पर्यावरण संतुलन एवं जल प्रबंधन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in